न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/4501/2006/उदयपुर

1 हेमा पुत्र वेणा डांगी
2 डालु पुत्र वेणा डांगी
3 वक्ता पुत्र वेणा डांगी समस्त निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

हिरका पुत्र चेना डांगी निवासी दरोली हाल डांगियों की पंचोली तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अजीत लोढा वकील अपीलार्थीगण
श्री अशोक नाथ योगी वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः.20.9.2019

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 127/2005 में पारित निर्णय दिनांक 26.6.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरोली स्थित आराजी खसरा नम्बर 77, 78, 81, 1169, 1170/1, 1213, 1214, 1558, 1559, 1560 कुल किता 10 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा स्थित हैं जिनकी पिलाई खसरा नम्बर 1253 से हाती है। वादीगण ने सजरा दर्शाते हुए मूल पुरूष्ज्ञ दौलाजी हुए व उनके दो पुत्र वेणाजी व गोदाजी हुए। जिनका आधा आधा हिस्सा है। गोदाजी की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो गई उनके कोई लडका लडकी नहीं थी। उनकी पत्नी श्रीमती

रोडी बाई थी जो गोदा की मृत्यु के बाद गांव डांगियों की पंचोली में चेना डांगी के जाति रस्म रिवाज के अनुसार नाते चली गई एवं चेना के नुक्ते से हिरका पैदा हुआ। वेणाजी की मृत्यु हो गई एवं उसके पश्चात से वादीगण विवादित आराजीयात पर तनहा काबिज चले आ रहे हैं। चेना की मृत्यु के बाद उसकी सम्पूर्ण भूमि हिरका व दला के नाम दर्ज हो गई। हिरका का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नहीं है परन्तु हिरका का नाम विवादित आराजीयात में दर्ज कर दिया जो गीत है। आराजी खसरा नम्बर 81 में से 6 बिस्वा भूमि सडक में चली गई व उसका मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हिरका नहीं है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 5.9.2005 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.6.2006 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी को फायदा पहुंचाने की नियत से प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर समस्त साक्ष्य उपलब्ध है। हिरका प्रत्यर्थी चेना का पुत्र है तथा चेना की समस्त आराजीयात हिरका के नाम दर्ज हो गई जो जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 से स्पष्ट है। हिरका का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नहीं है जिससे प्रकरण को प्रति प्रेषित किया जाना अनुचित है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी को सम्मन विधिवत तामील हुआ है तथा वह नियत तिथि को उपस्थित आया है एवं उसके पश्चात अनुपस्थित रहा जिससे एकतरफा कार्यवाही की गई है। आदेश 9 नियम 7 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र कारणो सहित विवेचन कर खारिज किया गया है। मौखिक साक्ष्यों से गोदा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमती रोडी बाई डांगियों की पंचोली के चेना के नाते जाना व चेना के नुक्ते से हिरका व दला उत्पन्न होना साबित होता है। हिरका का गोदा की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वह गोदा का पुत्र नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि गोदा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण करीब 60 वर्ष से अधिक समय पूर्व हिरका का नाम स्वीकार किया गया है एवं राजस्व अभिलेख में हिरका खातेदार दर्ज चला आ रहा है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी पर कोई तामील नहीं कराई गई एवं दिनांक 18.8.04 को अन्य व्यक्ति को उपस्थित कर अंगूठा निशानी लगाई

गई है। प्रतिवादी अपीलार्थी को जानकारी होने पर वकील नियुक्त कर आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जबाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर व साक्ष्य लेकर प्रकरण को निस्तारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. दौराने कार्यवाही प्रत्यर्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर उसके साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 266 एवं रतनलाल पिता खेमराज राव का शपथ पत्र एवं भाटबही की फोटो प्रति प्रस्तुत कर अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया जिस पर दोनों पक्षो को सुना गया। उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 266 राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है एवं इस प्रकरण से संबंधित है। जिससे अभिलेख पर लिये जाने योग्य है। अतः उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिया जाता है।

6. विचारण न्यायालय में दिनांक 18.8.04 को प्रतिवादी हिरका की उपस्थिति आदेशिका में दर्ज है तथा उसकी अंगूठा निशानी लगी हुई है। इसके बाद अगली पेशी पर प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.8.05 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को निरस्त करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि प्रतिवादी पर विधिवत तामील नहीं कराई गई है तथा खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना अपेक्षित रहने से प्रकरण प्रति प्रेषित किया है।

7. यह स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में प्रतिवादी हिरका का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 18.8.04 को हिरका की उपस्थिति आदेशिका में अंकित है परन्तु प्रतिवादी द्वारा आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे प्रोपर तामील नहीं कराई जाना तथा उसकसे स्थान पर अनय व्यक्ति को खडा कर हस्ताक्षर कराया जाना कथन करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसके खण्डन में कोई शपथ पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.8.05 को प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र में टंकित है परन्तु पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 1.9.05 को प्रस्तुत किया गया है जैसा कि पीठासीन अधिकारी

द्वारा की गई मार्किंग से जाहिर होता है। प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी 5.9.2005 नियत होना अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.9.05 को आदेशिका के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है तथा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया है।

8. यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के साथ प्रतिवादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में वादीगण की ओर से कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सह खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में अभिलेख में दर्ज सह खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद का निर्णय किया जाना अपेक्षित रहने से प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

9. प्रतिवादी प्रत्यर्थी द्वारा इस द्वितीय अपील में प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी विचारण न्यायालय में अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करें।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 26.6.2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य